न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 50/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/433

अपीलाण्ट :–
नरपत सिंह पुत्र श्री बद्रीसिंह, जाति राजपूत निवासी 514 राजेन्द्र नगर पाली जिला पाली जरिये आम मुख्तियार श्री तखतसिंह राणावत पुत्र श्री बद्रीसिंह राणावत, जाति राजपूत निवासी बी 16 वीर दुर्गादास नगर पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. कैलाश गुर्जर पुत्र रतनलाल गुर्जर निवासी भाम्बोलाई तहसील व जिला पाली
2. धर्माराम गुर्जर पुत्र रतनलाल गुर्जर निवासी भाम्बोलाई तहसील व जिला पाली
3. रेखराज गुर्जर पुत्र बलदेव गुर्जर, निवासी भाम्बोलाई तहसील व जिला पाली जरिये कुदरती वली पिता बलदेव गुर्जर निवासी भाम्बोलाई तहसील व जिला पाली
4. रतनलाल पुत्र रायमल जाति गुर्जर निवासी भाम्बोलाई तहसील व जिला पाली
5. श्रीमती हाबूडी पत्नी रतनलाल निवासी भाम्बोलाई तहसील व जिला पाली
6. श्रीमती चौथी पुत्री रायमल गुर्जर निवासी भाम्बोलाई तहसील व जिला पाली
7. मथरा पुत्री रायमल गुर्जर निवासी भाम्बोलाई तहसील व जिला पाली
8. बर्जी पुत्री रायमल जाति गुर्जर भाम्बोलाई तहसील व जिला पाली
9. तहसीलदार भू–अभिलेख पाली
10. सरपंच ग्राम पंचायत सांपा पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते अपील Nullity दिनांक 30.08.2022 व अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, नियम 7 एवं आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 1 नियम 10 धारा 151 सी पी सी व धारा 05 मियाद दिनांक 15.09.2022 अधिनियम

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा
रेस्पो. संख्या 01, रेस्पो. संख्या 04 व रेस्पो. संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **18.09.2024**

जिला कलक्टर, पाली

जैर प्रकरण के संबंध में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 02.08.2022 को प्रस्तुत हुई जो न्यायालय हाजा में दिनांक 12.08.2022 को पंजीकृत हुई। दौराने कार्यवाही अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01, रेस्पो. संख्या 04 व रेस्पो. संख्या 05 द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 03 व रेस्पो. संख्या 06 का आज से करीब 15 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। अपीलाण्ट

Scanned with ACE Scanner

ने मृत व्यक्तियों को रेस्पोडेण्ट संयोजित कर अपील प्रस्तुत की है जिसके कारण अपील Nullity होने से खारिज की जाये। यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.08.2024 को प्रस्तुत हुआ। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 15.09.2022 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04, नियम 07, आदेश 06 नियम 17 एवं आदेश 01 नियम 10 धारा 151 सी पी सी एवं धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उन्हें रेस्पो. संख्या 03 व रेस्पो. संख्या 06 के मृत्यु की जानकारी पूर्व में नहीं थी तथा उनके जानकारी अनुसार प्राप्त वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाये तथा विलम्ब को कण्डोन किया जाये। उपरोक्त प्रार्थना–पत्र का रेस्पो. संख्या 02 ने जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मृतक रेस्पोडेण्ट की जानकारी अपीलाण्ट को अच्छे प्रकार से थी क्योंकि मृतक रेस्पोडेण्ट रेखराज एवं चौथी आस–पास के गांव के निवासी है व न्यायालय को mislead करने की कोशिश की है जिससे अपीलाण्ट न्यायालय से किसी दया के पात्र नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा जिन प्रावधानों के तहत अपील प्रस्तुत की है उसमें मृत व्यक्तियों के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया जाना प्रावधित है। आदेश 01 नियम 03 के तहत भी इन्हें रेकर्ड पर नहीं लिया जा सकता। अतः जैर अपील मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत करने के कारण अपील Nullity होने से खारिज की जावे।

हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों एवं जवाब पर विचार कर मनन किया तथा अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा न्यायिक नजीर **RRD Feb 2007 page no 78** प्रस्तुत की जो आदेश 22 नियम 04 में दौराने कार्यवाही मृत पक्षकारों के विलम्ब को कण्डोन करने से संबंधित है। अपीलाण्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरें **RRD 14-12-2009 page no 828** प्रस्तुत की है जिसमें भी न्यायालय द्वारा पुनः एक माह की अवधि में संबंधित सभी पक्षकारों को संयोजित कर अपील पेश किये जाने का आदेश दिया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा न्यायिक नजीरे **AIR (33) 1946 Sind page no 20** पर प्रस्तुत की जिसमें वर्णित किया गया है कि मृत्त व्यक्तियों को आदेश 01 नियम 10, आदेश 22 नियम 04, नियम 09 के तहत संस्थित नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेण्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीरे **RRT 2012 (1) page no 189** प्रस्तुत की है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध शून्य प्रभावी व खारिज होने योग्य है।

प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अपीलाण्ट द्वारा भी यह कहीं नहीं कहा गया है कि मृत्त रेस्पोडेण्ट की मृत्यु दौराने अपील विचारण हुई हो। जैर प्रकरण में यह स्पष्ट है कि रेस्पो. संख्या 03 व रेस्पो. संख्या 06 की मृत्यु अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी थी तथा मृत्त पक्षकारों के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा वर्णित किन्ही भी प्रावधानों के तहत पक्षकारों को जिनकी अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है उनके विधिक वारिशान को संयोजित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्णित सभी प्रावधान दौराने कार्यवाही मृत्त या सकारण पक्षकार संयोजित किये जाने से संबंधित है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृत्त व्यक्तियों के खिलाफ प्ररतुत अपील Nullity (शून्य) होती है। प्रस्तुत न्यायिक नजीरों में भी यही विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

अतएव अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व 04 व रेस्पो. संख्या 05 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.08.2022 स्वीकार किया जाता है जिसके परिणामतः जैर अपील खारिज की जाती है तथा न्यायहित में अपीलाण्ट को सुसंगत सभी पक्षकारों को संयोजित करते हुए अपील नये सिरे से प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक **18.09.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner